उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-16/38/एक-1-2024-1-1099/3413/2020

लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2024

<u>अधिसूचना</u>

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2, सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला बहराइच की तहसील मिहीपुरवा (मोतीपुर) के वनग्राम का क्षेत्र, जो स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित था, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्रामों में सम्मिलित किया जायेगा और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जिसने उक्त वन ग्रामों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, में पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगाः

<u>अनुसूची</u>

क्र0सं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	तहसील का नाम जिसमें स्तम्भ- 4 में उल्लिखित वन ग्राम व स्तम्भ- 5 में उल्लिखित राजस्व ग्राम स्थित है	वन ग्राम का नाम जिनमें स्तम्भ- 2 में उल्लिखित भूमि स्थित है	राजस्व ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ- 2 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी
1	2	3	4	5
1	30.179	मिहीपुरवा (मोतीपुर)	महबूबनगर	महबूबनगर

1- <u>राजस्व ग्राम महबूबनगर में सम्मिलित किये गये क्षेत्र की चौहद्दी निम्नानुसार होगी :-</u>

(1) उत्तर - महादेवा

(2) दक्षिण - हंसुलिया

(3) पूरब - महादेवा एवं हंसुलिया

(4) पश्चिम - अवध फॉरेस्ट

आज्ञा से,

पी0 गुरूप्रसाद

प्रमुख सचिव |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 16/2024/38/One-1-2024- 1099/3413/2020 , dated 15 March, 2024 :

Notification

No. 16/2024/38/One-1-2024- 1099/3413/2020

Lucknow ; Dated : 15 March, 2024

In exercise of the powers under clause (20) of section 4 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Act no. 2 of 2007) , the Governor is pleased to declare that with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the area of the forest village of Tehsil-Mihipurva (Motipur) of District Bahraich , mentioned in column-2 of the Schedule below which was included in the forest village mentioned in column-4, shall now be excluded there from and included in the new revenue villages as mentioned in column-5 of the said Schedule and to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said forest villages:

Schedule

Sl. no.	Area (In Hectare)	Name of Tehsil in which the forest village mentioned in column 4 and revenue villages mentioned in column 5 situated	Name of the forest villages in which the land mentioned in column-2 is situate	Name of the revenue villages in which the land mentioned in column-2 shall be included
1	2	3	4	5
1	30.179	Mihipurva (Motipur)	MAHBOOBNAGAR	MAHBOOBNAGAR

1- Boundary of the area included in MAHBOOBNAGAR revenue village shall be as below:- (1) In North Mahadeva
(2) In South Hansulia
(3) In East Mahadeva and Hansulia
(4) In West Awadh Forest

By order,
P. Guruprasad
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।